कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठाकंन क्र.: 9182 / 2021 भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

प्रतिलिपिः–

यथानिर्देशित, म0प्र0 राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाऐं पर शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3(कोर्ट मैनेजर स्टाफ) सहायक ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (English Knowing) के पदों की भर्ती/नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2021 की प्रतिलिपि वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग भोपाल को विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित है।

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल.

1217
13-12-21

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय
भोपाल (म.प्र.)
13 DEC 2021
4696

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

//विज्ञापन//

क्रमांक :– 402/परीक्षा/21 दिनांक :–12/11/2021

मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ), सहायक ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (English Knowing) के पदों की भर्ती/नियुक्ति हेतु विज्ञापन–2021

A
Rec
Eng AO
13/12/21

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :–	30/11/2021 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :–	30/12/2021 (11.55 PM)
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि –	बाद में अधिसूचित की जावेगी।
मुख्य परीक्षा की तिथि –	बाद में अधिसूचित की जावेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

(1) संपूर्ण चयन/भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अर्हताऐं/अनर्हताऐं, अभ्यर्थियों का चयनाधिकार आदि के संबंध में मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती व सेवा की शर्तें) नियम–2016 व अन्य संबंधित नियम व प्रावधान लागू होंगे।

(2) अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(3) अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप/पदों हेतु अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और उसके किसी भी आवेदन/आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(4) ग्रुप–A के पदों में योग्य अभ्यर्थी को पद की वरीयता चुननी होगी, जो एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगी। निम्न पद की वरीयता देने पर मेरिट में अधिक अंक होने पर भी वरीयता अनुसार ही उसे चयन सूची में स्थान प्राप्त होगा। जबकि उच्च पद की वरीयता देने पर मेरिट की वरीयता अनुसार निम्न पदों पर भी चयन किया जा सकेगा।

(5) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रकिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

(6) अभ्यर्थी ऑनलाईन फार्म में कोई भी प्रविष्टी अर्हताकारी अंकसूची/प्रमाण–पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। समयक व सही रूप से भरे गये आवेदन–पत्र, जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है ही मान्य होंगे अन्यथा नहीं।

ग्रुपवार पदों का विवरण

ग्रुप का नाम	पदनाम	वेतनमान (छठवे वेतनमान के अनुसार)	रिक्त पदों की संख्या
A	(1) शीघ्रलेखक ग्रेड–2	5200–20200 +Grade Pay–2800/-	108
	(2) शीघ्रलेखक ग्रेड–3	5200–20200 + Grade Pay–2400/-	205
	(3) शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ)	5200–20200 + Grade Pay–1900/-	11
B	(1) सहायक ग्रेड–3	5200 – 20200 + Grade Pay–1900/-	910
C	(1) सहायक ग्रेड–3 (इंग्लिश नोइंग)	5200 – 20200 + Grade Pay–1900/-	21
		कुल पद	1255

* सातवे वेतनमान के अनुसार शीघ्रलेखक ग्रेड–2 का पे–मैट्रिक्स 28700–91300, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 का पे–मैट्रिक्स 25300–80500, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ), सहायक ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (इंग्लिश नोइंग) का पे–मैट्रिक्स 19500–62000 लागू होगा।

निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं:–

खण्ड "अ"

(एक) प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों की संख्या :–

क्र0	पदनाम	कुल रिक्तियों की श्रेणीवार संख्या				कुल रिक्तियों में से श्रेणीवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद			कुल रिक्तियाँ (कॉलम क0 3 से 6 का योग)
		UR	OBC	SC	ST	UR	OBC	SC	ST				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	49	15	17	27	9	1	2	3	6	श्रवणबाधित	2	108
											दृष्टिबाधित	2	
											अस्थिबाधित	2	
2	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	72	26	30	77	13	2	3	17	12	श्रवणबाधित	4	205
											दृष्टिबाधित	4	
											अस्थिबाधित	4	
3	शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टॉफ)	11	–	–	–	–	–	–	–	1	श्रवणबाधित	1	11
4	सहायक ग्रेड–3	366	136	153	255	100	30	37	64	56	श्रवणबाधित	19	910
											दृष्टिबाधित	19	
											अस्थिबाधित	18	
5	सहायक ग्रेड–3 (इंग्लिश नोइंग)	16	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	21
									महायोग	75			1255

नोट–उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

(दो) पदों की अर्हतायें :–

Sr. No.	Name of Post	Qualification
1	Stenographer Grade-II	1. Graduation in any discipline from a recognized University. 2. C.P.C.T. Score card exam passed from M.P. Agency for promotion of Information Technology (MAP-IT) or any other Agency/Institution recognized by the M.P. Government. 3. Hindi shorthand exam passed with speed of 100 W.P.M. from Board/Institution recognized by M.P. Government. 4. One year diploma course passed in Computer Application from Institution recognized by M.P. Government.
2	Stenographer Grade-III & Stenographer Grade-III (Court Manager Staff)	1. Graduation in any discipline from a recognized University. 2. C.P.C.T. Score card exam passed from M.P. Agency for promotion of Information Technology (MAP-IT) or any other Agency/Institution recognized by the M.P. Government. 3. Hindi shorthand exam passed with speed of 80 W.P.M. from Board/Institution recognized by M.P. Government. 4. One year diploma course passed in Computer Application from Institution recognized by M.P. Government.
3	Assistant Grade-III	1. Graduation in any discipline from a recognized University. 2. C.P.C.T. Score card exam passed from M.P. Agency for promotion of Information Technology (MAP-IT) or any other Agency/Institution recognized by the M.P. Government. 3. One year diploma course passed in Computer Application from Institution recognized by M.P. Government.
4	Assistant Grade-III (English Knowing)	1. Graduation in any discipline from a recognized University. 2. C.P.C.T. Score card exam passed from M.P. Agency for promotion of Information Technology (MAP-IT) or any other Agency/Institution recognized by the M.P. Government. 3. English shorthand exam passed with speed of 80 W.P.M. from Board/Institution recognized by M.P. Government. 4. One year diploma course passed in Computer Application from Institution recognized by M.P. Government.

नोट–

क. उपरोक्तानुसार दर्शित अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ–साथ परीक्षा अंक पत्र/प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

ख. कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा के संबंध में म0प्र0 शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक– C 3-07/2015/1/3, Bhopal, Dated-18.08.2015 के परिप्रेक्ष्य में कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष निम्न मान्य योग्यता लागू होगी :–

1. *बी0ई0(सी0एस0ई0/आई0टी0)(एम0सी0ए0/बी0सी0ए0/एम0एस0सी0 (आई0टी0/सी0एस0) बी0एस0सी0 (आई0टी0/सी0एस0) एम0टेक/एम0ई0 इत्यादि।*
2. *ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नलाजी इत्यादि।*
3. *बी0एस0सी0/बी0कॉम/डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।*

(जैसा कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010 (S) जबलपुर–राकेश यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 तथा अन्य आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में भी अभिनिर्धारित किया गया हैं)

ग. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये सरकार द्वारा बनाये नियमों/दिशा–निर्देशों के अनुसार उपरोक्त योग्यताऐं आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगी।

(तीन)–आरक्षण संबंधी टीप:–

आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र म0प्र0 के मूल निवासियों के लिये लागू होंगे। म.प्र. राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(चार)–चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :–

(1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता विचार में नहीं ली जावेगी।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा/होगी जो निम्न में से कोई हो–

(क) उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

(ख) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।

(ग) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(घ) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ङ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की "पूर्व

अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र" संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम पर समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(4) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरूद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(6) अभ्यर्थी को केन्द्रीय या संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने से अनर्हरित किया गया हो।

(7) अभ्यर्थी किसी प्रकार के अनैतिक क्रियाकलाप में संलग्न रहा हो/दोषसिद्ध पाया गया हो।

(8) यदि अभ्यर्थी के द्वारा किसी क्रियाकलाप या कार्यक्रम में भाग लिया गया है या संबद्धता रही है—

एक—जिसका ध्येय भारत के संविधान को क्षति पहुंचाने का रहा हो,

दो— जिसका ध्येय संगठित होकर विधि की अवज्ञा या भंग कर हिंसा कारित करना हो,

तीन—जो भारत की संप्रभुता व अखण्डता या राज्य की सुरक्षा के हितों पर पूर्वाग्रह कारित करता हो,

चार—जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के मध्य शत्रुता या घृणा की भावना को प्रोत्साहित करता हो।

(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा के (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 व मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती व सेवा की शर्तें) नियम–2016 के प्रावधानों एवं समय– समय पर जारी संशोधनों के अंतर्गत अनर्हता आदि के नियम लागू होंगे।

(10) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अभ्यर्थी को परीक्षा में मूल फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(11) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय को होगा।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत (Submit) करता है या उसका आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य/अपूर्ण जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है, तो संज्ञान में आते ही किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

(13) इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन फार्म बहुत सावधानी से भरें, आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(14) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में पंजीबद्ध अपराध या दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है या असत्य जानकारी देता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

(पांच)–अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती हेतु किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(4) चयन के किसी भी स्तर पर दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(5) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(6) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(7) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(8) परीक्षा भवन में चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना, या

(9) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या ऑनलाइन परीक्षा कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या किसी तार, उससे जुड़े परिधीय या किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी परीक्षा केंद्र की इमारत या कोई अन्य चीज, या परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति से बात करना या कंप्यूटर स्क्रीन, टेबल या अन्य उम्मीदवारों के कम्प्यूटर में झाँकना इत्यादि, या

(10) परीक्षा में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, कैमरा लगा कोई उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण प्रतिबंधित हैं और परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जावेगी, या

(11) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है, या

(12) ऑनलाईन फार्म में कोई भी प्रविष्टी अंकसूची/मार्कशीट/प्रमाण–पत्र से भिन्न करना, या

(13) म.प्र. राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी में आवेदन करना।

खण्ड "ब"

(एक)– आयु की गणना–

दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन)	45 वर्ष
4	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन)	45 वर्ष

म0प्र0 राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

(दो)– आवेदन–शुल्क :–

श्रेणी	परीक्षा शुल्क (अ)	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क (ब)	योग (अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु	रू. 200/–	रू. 577.02/–	रू. 777.02/–
आरक्षित वर्ग (केवल म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)	रू. 0/–	रू. 577.02/–	रू. 577.02/–

नोट :– (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो ।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रॉंजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन या शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं, तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(तीन)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

1. अभ्यर्थी स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् **"Click on-Online Application Forms/Admit Cards"** पर Click करें जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 03 निम्न लिंक उपलब्ध होंगी :–

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0–मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है, बाद में त्रुटि–सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी दिये गये ऑनलाईन पेमेंट मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट/पावती, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। **आवेदन पत्र का प्रिंट/रसीद को भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर **(022–61306271)** पर तत्काल सम्पर्क करें।

नोटः—यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह/योग्यताधारी मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह/अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड–''स''

(एक)–भर्ती की योजना :– सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों में होगी :–

1. प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन)
2. मुख्य परीक्षा

(दो) प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन) (100 अंक)

प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ''ऑनलाइन'' आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नही जोड़ा जाएगा।

(तीन) प्रवेश पत्र :– सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना User ID एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंट आउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 10–15 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति–आवश्यक है, व्यतिक्रम में अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

(चार) परीक्षा केन्द्र:–

क. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन (सभी या आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक) में एक पाली (Shift) अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पालीयों (Shifts) में आयोजित हो सकेंगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में म0प्र0 राज्य के बाहर के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा एक से अधिक पाली में होने की दशा में प्रश्न पत्र अलग–अलग होंगे। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्त में से किसी भी संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत् अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

ख. यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/समय/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(पांच) ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

Syllabus	No. of Questions	Marks
(1) G.K.+G.S., including G.K. of M.P.	30	30
(2) Maths + Reasoning	20	20

(3) General Hindi	10	10
(4) English knowledge	20	20
(5) Computer knowledge	20	20
Total Question and Marks	100	

नोट :–

1. उपरोक्त परीक्षा 02 घंटे की होगी।
2. परीक्षा की तिथि(यों), समय व परीक्षा केन्द्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
3. **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाइन प्रश्न–पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध है
4. दिव्यांग अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिये केवल एक केंद्र (जिला–जबलपुर) बनाया जा सकेगा एवं उनकी प्रारंभिक परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था की जावेगी।

(छः) – आवश्यक सूचना :–

(1) अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में दर्शित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त मानी जाऐगी। विलंब से आने वाले या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडीकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो इसकी पूर्व अनुमति परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय से प्राप्त करनी होगी, जिसके लिये कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। अनुमति के बिना ऐसे उपकरण या वस्तु का उपयोग वर्जित रहेगा।

(सात)–: ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम :–

1. उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर परीक्षा के पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के सात (07) दिनों के भीतर रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर के पदनाम से संबोधित, लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं श्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति प्रस्तुत

की है, की स्व–हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित डाक के माध्यम से या उच्च न्यायालय, जबलपुर के आवक सेक्शन में जमा कर प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि या परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। ई0 मेल द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं करते हुए नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

2. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:3 (प्रति पद के लिये 03 अभ्यर्थी) के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिये, न्यूनतम अंक के अधीन, सफल घोषित किया जावेगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जावेगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(आठ)—: मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं दस्तावेजः —

1. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय शैक्षणिक व अर्हताकारी दस्तावेज मंगाये जावेगें जिसे अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेषित करना होगा, जिसकी जानकारी पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन फार्म के प्रिंट की प्रति को संलग्न किया जाना अति आवश्यक होगा। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं उन्हें अपात्र किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 कलर फोटोग्राफ (जो ऑनलाईन फार्म में लगाये गये थे) के साथ एक लिफाफे में रखकर भेजे जावेंगे। उक्त लिफाफे पर अपनी श्रेणी एवं पद/ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। **आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदनाम से संबोधित करते हुए, व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा करना होगा। वे अभ्यर्थी जो डाक द्वारा अपना आवेदन प्रेषित करना चाहते है वे अंतिम तिथि (जो भी निर्धारित की जावेगी) के कम से कम 07 दिवस पूर्व आवेदन भेजे, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की**

अभ्यर्थिता संबंधित पद में स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त संबंध में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रेषित किया जाना अति–आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं अथवा वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

खण्ड–"द"

(एक)– मुख्य परीक्षा :– सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंको की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(दो)– मुख्य परीक्षा केन्द्र– मुख्य परीक्षा जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जावेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत् अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि किन्ही कारणों से मुख्य परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(तीन)–मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रमः–

Group	Post	Subject	Marks	Time
A	Stenographer Grade-2, Grade-3 & Grade-3 (For Court Manager staff)	Hindi Stenography dictation of 400 words (approx.) + Transcription/Typing	100	5+30= 35 Min.
B	Assistant Grade-3	Hindi Typing (350 words approx.) + Direct Dictation Typing (400 words approx.)	30 + 70=100	10+10= 20 Min.
C	Assistant Grade-3 (Eng. Know.) (D.C.)	English Stenography dictation of 400 words (approx.) + Transcription/Typing	100	5+30= 35 Min.

नोट :–

(1) मुख्य परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की–बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना कम्प्यूटर या की–बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) समस्त अभ्यर्थियों को हिन्दी टाईपिंग रेमिंगटन गेल (REMINGTON GAIL) मे ही करना है।

(3) शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का हिन्दी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 30 मिनिट का समय दिया जायेगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कम्प्यूटर में टाईप कराया जावेगा।

(4) मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात् अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नही होगा। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट–बुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट–बुक में डिक्टेशन Long Hand में लिखे होने पर **संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।**

(5) सहायक ग्रेड–3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनिट में लगभग 350 शब्दों का हिन्दी टाईपिंग मैटर टाईप करना होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों को हिन्दी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जावेगा, जो कि लगभग 400 शब्दो का होगा, जिसे अभ्यर्थियों को सुनकर कम्प्यूटर में सीधे टाईप करना।

(6) सहायक ग्रेड–3 (English Knowing) की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का अँग्रेजी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcriptior) एवं कम्प्यूटर में टाईपिंग हेतु 30 मिनिट का समय दिया जायेगा।

(7) दिव्यांग अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिये केवल एक केंद्र यथासंभव बनाया जा सकेगा एवं उनकी मुख्य परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था की जावेगी।

नोट– अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उक्त किसी भी पद की मुख्य परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी डिक्टेशन व हिन्दी डायरेक्ट डिक्टेशन दौरान शोर मचाने वाले अथवा अनुलेखन/टाईपिंग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनावश्यक वाद/विवाद करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जावेगा तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उन्हें सम्मिलित होने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(चार)–<u>मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन</u>

1. उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ता/वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दिये गये अंक ही अंतिम होंगे और उसके विरूद्ध कोई भी अभ्यावेदन विचार में लाये बिना नस्तीबद्ध कर दिये जावेंगे।

2. शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) एवं सहायक ग्रेड–3 (English Knowing) की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यॉंकन मे प्रत्येक त्रुटि (जैसे गलत शब्द, वर्तनी/स्पैलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि) पर 1/2 (0.50) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती है, तो आगे उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।

3. सहायक ग्रेड–3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन में प्रत्येक त्रुटि (जैसे गलत शब्द, वर्तनी त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि) पर 1/2 (0.50) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि हिन्दी टाईपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी की 84 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती है, तो आगे उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।

नोट– उपरोक्त सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंको के 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा। उक्त न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

(पांच): –मुख्य परीक्षा का परिणाम :–

शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) का परिणाम अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता, उक्त पद हेतु उसकी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अध्यधीन बनाया जावेगा। अन्य पदों की मुख्य परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों व श्रेणीवार मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी। अंतिम चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

टीपः–1. परीक्षा के किसी भी स्तर पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता संबंधित दस्तावेज व पृष्ठभूमि की जांच करने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है। जांच में असंतुष्टि पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

3. चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(छः)– प्रतीक्षा सूची (Waiting List) :–

प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6–07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक–14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

(सात): पदस्थापना / जिला आवंटनः–

चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन कॉऊसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट एवं जिले में रिक्त पदों की श्रेणीवार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों को किसी जिला विशेष या पद विशेष पर पदस्थापना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। काउँसलिंग दिवस में अभ्यर्थी द्वारा अपने पसंदीदा जिले के लिए किसी भी प्रकार का अनावश्यक संवाद अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश होगें।

नोट– चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अर्हता उसके दस्तावेजों व पृष्ठभूमि के सत्यापन उपरांत नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन होगी।

(आठ): सूचना के अधिकार के तहत जानकारीः

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक व उत्तर पुस्तिका संबंधी जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट से यूसर आई0डी0 व पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करता है, तब विहित शुल्क अदा करने व नियमानुमत होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने से 3 माह तक आवेदक अभ्यर्थी की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक / उत्तरपुस्तिका की जानकारी प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकता है। मुख्य परीक्षा के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन अंतिम परिणाम घोषित होने के पहले पोषणीय नहीं होगा।

(नौ): **विनष्टीकरणः–**

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं / आन्सर शीट्स आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित व प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदनों को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची / अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(दस): यात्रा व्यय का भुगतान–

परीक्षाओं हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षा मे उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ग्यारह): शुद्धिपत्रः–

आवश्यकता होने पर शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जायेगा, जो कि इस विज्ञापन का भाग माना जायेगा। उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित "शुद्धिपत्र" को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। "शुद्धिपत्र" की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(बारह): कोविड–19 महामारी से संबंधित निर्देश :–

परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा इत्यादि के पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड–19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा सेल द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

(तेरह): अभ्यावेदन/पत्राचार :–

ई0मेल के माध्यम से कोई भी अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा और स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन, अर्हता, आयु–सीमा एवं परीक्षा तिथियों आदि में परिवर्तन या छूट के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

रजिस्ट्रार जनरल

****